निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 53 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के माह 11/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री आलोक चौधरी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13/09/2018 से 22/09/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजेश सिन्हा एवं श्री मनोज खंडुरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अक्षय .....द्वारा दिनांक 21/10/2016 से 02/11/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ज़िला बागेश्वर के .....खण्ड के मार्गो एवं पुलो का निर्माण एवं रखरखाव ।

(II)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2015-16	-	-	1555.67	1555.67	1620.14	1620.14	-	-	-	-
2016-17	-	-	1356.29	1356.29	1437.84	1437.84	-	-	-	-
2017-18	-	-	1654.78	1654.78	560.88	560.88	-	-	-	-
2018-19	-	-	782.00	568.00	140.00	140.00	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
शून्य					

3. इकाई का बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है ।
4. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह ..... को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। न्याय विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।
6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक तक लेखा परीक्षा की गई ।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।

5. **फॉर्म-51**: माह 08/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

   भाग प्रथम- रुपए (-) 397711
   भाग द्वितीय- रुपए 121791

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 08/2018 के अंत में

   1.नकद परिशोधन- शून्य
   2.सामग्री क्रय- शून्य
   3.निक्षेप पंजिका- ₹ 76507937.00 /-
   4.प्रकीर्ण अग्रिम- ` 9974987.00 /-
   5.भंडार- ` 25094708.00 /-

भाग –दो 'ब'

प्रस्तर-1 रु0 52.53 लाख की रॉयल्टी की अधिक की गई कटौती का वापस न किया जाना।

उत्तरखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 842 / VII-1/2016 / 24–ख / 2007
देहरादून दिनांक 19 मई 2016

अधिसूचना

शासन के अधिसूचना संख्या– 211 / VII-1/24–ख / 2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तरखण्ड खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वीमित्व (रायल्टी) की दर (नियम 21) के क्रमांक– 8 में विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था मेंहो, की रायल्टी की दर को नियमानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वर्तमान प्रावधान		एतद् द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
खनिज का नाम	रायल्टी की दर	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दर एवं निर्धारित नदी तल (धनराशि रू0 में)
8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	194.5 प्रति घन मी0 अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल	8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	1 रू0 8.50 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 187.00 प्रति घन मी0 (गोला नदी) 2. रू0 8.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 176.00 प्रति घन मी0 (कोसी, दाब का नदी) 3. रू0 7.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 154.00 प्रति घन मी0 (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के माह 11/2016 से माह 08/2018 तक के वाउचरों/बिलों की लेखापरीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी तत्समय लागू पूर्ण दर से अर्थात मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में दरों में बगैर अंतर के समान दर से कटौती करते हुए रु0 1,05,06,382 [लेखापरीक्षामें जितने बिलों (संलग्न) कीजांच की गई] की कटौती की गई एवं राजस्व में जमा किया गया है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र / बागेश्वर में सडकों के निर्माण में उपयोग किये गये उपखनिज पर रायल्टी की कटौती ठेकेदारों से मैदानी क्षेत्र की तरह की दरों से कटौती की गई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रॉयल्टी दर निर्धारित रॉयल्टी दर का 50 प्रतिशत लागू होगा। फलस्वरूप ठेकेदार नागरिकों से रु0 52.53 लाख (105.06 लाख/2) की रॉयल्टी ज्यादा काटी की गई है।

विभागीय उत्तर में बताया गया की रॉयल्टी की कटौती औद्योगिक विकास अनुभाग–1संख्या 842 / VII-1/2016 / 24–ख / 2007

देहरादून दिनांक 19 मई 2016 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–1संख्या 211 / VII-1/2016 / 24–ख / 2007

देहरादून दिनांक 26 फरवर्री 2016 के अनुसार रॉयल्टी की दरों में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है अतः उक्त शासनादेश में दी गई दरों के अनुसार कटौती की गई है। उक्त की पुष्टि मु०आ०/प० ली०, ए० डी० बी०, लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा भी की गई थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त उत्तराखंड शासनादेश के अतिरिक्त उत्तराखंड के Mines and Mineral विभाग के पत्रांक संख्या के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रॉयल्टी दर निर्धारित रॉयल्टी दर का 50 प्रतिशत लागू होगा। अल्मोड़ा पर्वतीय जिला में निर्माण खंड (ए.डी.बी.), लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा में निर्धारित रॉयल्टी दर का 50 प्रतिशत के दर से रॉयल्टी वसूल की जा रही है।

अतः ठेकेदार नागरिकों से रु0 52.23 लाख की ज्यादा वसूल की गई रॉयल्टी फीस को नियमानुसार लागू ब्याज सहित वापसी का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

''भाग दो -ब

प्रस्तरः–2 खंड की उदासीनता के कारण कार्य लागत मे रु 333.82 लाख की वृद्धि एवं ठेकेदार पर रु 64.74 लाख अर्थ-दंड (पेनाल्टी) अधिरोपित न किया जाना।

जजशिप बागेश्वर में न्याय विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु महानिबंधक उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल द्वारा **रु** 421.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 08.11.2006 को प्रदान की गयी थी तथा साथ ही कार्य हेतु रु 1 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गयी। जिस पर 2 वर्ष बाद दिनांक 11.02.2009 को मुख्य अभियन्ता (कु॰क्षे॰) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा **रु** 421.00 की प्राप्त हुई थी। कार्य के निष्पादन हेतु M/s C S Construction के साथ अनुबन्ध संख्या 22/ एस॰ई॰/ 2009 दिनांकः 02.03.2009 को लागत ` 37653343.00 का गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 02.03.2009 व समाप्ति की तिथि 01.09.2010 थी। इसके पश्चात कार्य पूर्ण न होने के कारण पुनः न्याय विभाग उत्तराखंड शासन से ` 333.82 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 03.03.2015 को प्राप्त की गयी थी। जिस पर दिनांकः 28.07.2015 को मुख्य अभियन्ता (कु॰क्षे॰) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा ` 333.82 की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। पूर्व अनुबन्ध का अंतिमिकरण किए बिना ही कार्य के पुनः निष्पादन हेतु M/s Anand Singh Danu के साथ अनुबन्ध संख्या 23/ एस॰ई॰/ 2015 दिनांकः 30.10.2015 को ` 27090657.00 का गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 30.11.2015 व समाप्ति की तिथि 29.01.2017 थी। कार्य पर माह 08/2018 तक रु 615 लाख व्यय किए जाने के उपरांत भी अतिथि तक कार्य अपूर्ण था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया किः

- कार्य हेतु M/s C S Construction से किए गये अनुबंध के अनुसार कार्य दिनांकः 01.09.2010 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु कार्य समय पर पूर्ण न होने एवं दरों में वृद्धि होने के कारण पूर्व स्वीकृति रु 421.00 लाख मे कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य लागत मे रु 333.82 लाख की वृद्धि हुई। किन्तु कार्य स्वीकृति के 12 वर्ष बाद भी अतिथि तक अपूर्ण था।
- खंड द्वारा M/s C S Construction द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न किए जाने पर भी खंड द्वारा उसके विरुद कोई भी कार्यवाही नही की गयी एवं न ही अनुबन्ध का अंतिमिकरण किया गया। बल्कि बिना समय वृद्धि स्वीकृति दिये ही कार्य कराया गया

तथा उसके अनुबन्ध के बिना अंतिमिकरण के ही पुनः M/s Anand Singh Danu के साथ वर्ष 2015 में अनुबन्ध गठित कर कार्य कराया गया। जिसके द्वारा भी अभी तक कार्य पूर्ण नही किया गया।

- नियमानुसार M/s Anand Singh Danu से Performance Security के रूप मे रु 1355000.00 (5 प्रतिशत) की FDR लेनी चाहिए थी लेकिन केवल रु 564720.00(2 प्रतिशत) की ही FDR प्राप्त की गयी जो दिनांक 19.08.2015 से केवल माह के 12 लिए ही विभाग को PLED की गयी थी। जबकि ठेकेदार द्वारा अभी तक भी कार्य पूर्ण नही किया गया था।
- कार्य हेतु M/s C S Construction से ली गयी बैंक गारंटी की वैधता भी दिनांक 20.02.2010 को समाप्त हो गयी थी । जिसकी पुन: वैधता हेतु खंड द्वारा ठेकेदार से कोई पत्राचार नही किया गया। जबकि उसके अनुबंध का लेखापरीक्षा तिथि तक भी अंतिमिकरण नही हुआ था।
- ठेकेदार द्वारा अनुबंध में निर्धारित क्लाज के अनुसार कार्य का बीमा कराया जाना चाहिए जो अतिथि तक नहीं किया गया था। न ही खंड द्वारा उसको इस संबंध में कोई संज्ञान लिया गया।
- न्याय विभाग से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अनुबंध की शर्तों को अनुसार कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार पर 10 प्रतिशत कुल 6474400.00 (M/s C S Construction से रु 3765334.00 एवं M/s Anand Singh Danu से रु 2709065.70) का अर्थ-दण्ड (पेनल्टी) अधिरोपित किया जाना चाहिए था, जो नही किया गया ।
- कार्य पूर्ण होने के बाद आवासीय भवनों को न्याय विभाग को स्थानातरित किया जाना चाहिए था जो अतिथि तक नहीं किया गया।

प्रकरण इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्य की स्वीकृति दिनांक को 08.11.2006 प्राप्त हुई स्वीकृति उपरांत मुख्य अभियन्ता द्वारा वर्ष 2009 मे तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई उसके उपरांत ही अनुबंध गठित कार्य कराया गया तथा दिनांक 24.09.2015 M/s C S Construction के अनुबंध के अंतिमिकरण के बाद ही M/s Anand Singh Danu से अवशेष कार्य हेतु अनुबंध किया गया, जो प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर न्याय विभाग को स्थानतरित कर दिया जायेगा। आगे अवगत कराया गया कि M/s C S Construction को समय वृद्धि मुख्य अभियंता द्वारा 0.25 अर्थ दंड के साथ स्वीकृत कर दी गयी है तथा M/s Anand Singh Danu द्वारा समय वृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। अनुबंध के सापेक्ष

Performance Security के रूप मे बैंक गारंटी के साथ FDR भी ली गयी थी तथा अवशेष Per. Security उसके अंतिम देयक से समायोजित की जा रही है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कार्य हेतु खंड को सम्पूर्ण धनराशि समय से प्राप्त होने के बावजूद कार्य स्वीकृति के 12 वर्ष बाद भी अतिथि तक अपूर्ण था तथा M/s C S Construction के अनुबंध के सापेक्ष Perf. Security के रूप मे केवल बैंक गारंटी ही ली गयी थी। जिसकी वैधता दिनांक 20.02.2010 को समाप्त हो गयी थी । FDR अनुबंध संख्या 23/ एस॰ई॰/ 2015 दिनांक: 30.10.2015 हेतु M/s Anand Singh Danu से प्राप्त की गयी थी। समय रहते खंड द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नही की गयी किसके कारण कार्य समय पर पूर्ण नही किया जा सका तथा दरो मे वृद्धि के कारण कार्य मे रु 333.38 की लागत वृद्धि हुई। समय वृद्धि स्वीकृति किए जाने संबंधी उत्तर भी मान्य नही है क्योकि कार्य हेतु M/s C S Construction से किए गाये अनुबंध के अनुसार कार्य दिनांक: 01.09.2010 को समाप्त किया जाना था, जबकि मार्च 2017 मे प्रस्तुत 5th बिल के अनुसार कार्य समाप्ती की वास्तविक तिथि दिनांक: 24.09.2015 एवं माप लेने की तिथि 19.03.2016 की दर्शायी गयी थी। किन्तु न ही ठेकेदार द्वारा आवेदन किया गया न ही माह 08/2018 तक विभाग द्वारा उसको समय वृद्धि प्रदान की गयी। 8 वर्ष बाद माह 09/2018 मे समयवृद्धि दिये जाने का क्या औचित्य है। पूर्व अनुबंध का अंतिमिकरण अभी तक भी नही किया गया था। कार्य के सम्पादन हेतु सम्पूर्ण राशि खंड को समय से प्राप्त होने एवं न्याय विभाग के बार-बार अनुरोध के बावजूद समय पर कार्य पूर्ण न करना तथा समय पर कार्य न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही न करना खंड के अधिकारियों/कर्मचारियो की कार्य के प्रति उदाशीनता को दर्शाता है, जिसके कारण कार्य लागत मे रु 333.82 लाख की वृद्धि हुई तथा कार्य स्वीकृति के 12 वर्ष बाद भी अतिथि तक अपूर्ण था। नियमानुसार समय पर कार्य पूरा न करने पर ठेकेदारो से रु 64.74 लाख अर्थ-दंड (पेनाल्टी) अधिरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए था।

अतः खंड की उदाशीनता के कारण कार्य लागत मे रु 333.82 लाख की वृद्धि एवं ठेकेदार पर रु 64.74 लाख अर्थदंड (पेनाल्टी) अधिरोपित- न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर –3 IRC के प्राविधानों के विपरीत कार्य करवाने के कारण ₹ 28.01 लाख का अनियमित व्यय

शासन द्वारा जिन्तोली–उडखुली–गढखेत मोटर मार्ग के 10 किमी0 तक PC द्वारा सतह सुधार के कार्य हेतु ₹ 457.01 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य हेतु एक अनुबन्ध संख्या 04/SE/2013-14, Dated 03.03.2014 गठित किया गया था (धनराशि ₹ 4.52 करोड़, ठेकेदार M/s S.S. Enterprises) जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 03.03.2014 एवं 02.09. 2015 थी। वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा प्रश्नगत कार्य IRC 72-2007 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया गया था। मार्ग का MSA-6.3 एवं CBR value 5 से 6 के मध्य थी। MSA एवं CBR के इस संयोजन के साथ मार्ग पर 275mm gravel (GSB की तीन layer जिनकी कुल मोटाई 275mm) बिछाया जाना था, परन्तु खण्ड द्वारा मार्ग पर IRC उक्त के प्रावधानों के विपरीत GSB के स्थान पर WBM (जो कि एक महंगा item है) को बिछाया गया, जिसके कारण मार्ग पर ₹ 14.47 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा मार्ग पर calculated MSA व CBR value के अनुसार निर्धारित 275mm के स्थान पर 275mm thick layer अर्थात 20mm अधिक मोटाई में layer बिछायी गयी थी, जो IRC के प्रावधानों के विपरीत तो थी ही साथ ही इस पर ₹ 13.53 लाख (संलग्न विवरण के अनुसार) का परिहार्य व्यय भी था। इस प्रकार मार्ग पर कुल ₹ 28.01 लाख **(संलग्न विवरण के अनुसार)** का अनियमित एवं परिहार्य व्यय किया गया।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया गया IRC SP 72:2007 के अनुसार कस्ट की न्यूनतम मोटाई 275mm GSB आ रही थी। क्योकि WBM, GSB की अपेक्षा तकनीकी दृष्टि से सूद्रढ है एवं भविष्य में यातायात की बढ़ोतरी के मध्यनजर 295mm मोटाई में WBM की सिफारिश की गई ताकि अधिक समय तक मार्ग गुणवत्ता बनाई रखी जा सकें। **आगे** बताया **कि** उपरोक्त प्राविधानों को करते हुए वित्तीय स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। जिससे शासकीय धन की हानि नहीं हुई है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खण्ड द्वारा मार्ग पर calculated MSA एवं CBR value के संयोजन हेतु निर्धारित Thickness/मानकों के विपरीत कार्य करवाया गया। साथ ही खण्ड द्वारा जिस IRC 72-2007 के प्रावधानों को अपनाया गया उसी के प्रावधानों के विपरीत आगणन मे WBM का प्राविधान कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई एवं Thickness निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में बिछायी गई थी, जिसका कोई आधार एवं औचित्य नहीं था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जता है

कार्य का नाम :– जिन्तोली–उडखुली–गढ़खेत मोटर मार्ग

S.No		Quantity & Rate of WBM	Value of WBM excuted	Rate & Quantity of GSW	Value of GSW if it is laid	Deference
1	2	3	4	5	6	7(4-6)
A	WBM II	3143.45 @ 1450.90	4560831.99	3143.45 @ 1230.80	3868958.20	691873.73
B	WBM III	2674.43 @ 1513.30	4047214.92	2674.43 @ 1230.80	3291688.44	755526.47
C	GSB-I 20%mm extra	Road length - 10000 Width - 5.50 Thickness - 0.020	= 1100 cum @ 1280.80 =			1353880.00
			Total (a+b+c)			2801280.20
			Say -			**28.01 Lakh**

भाग दो (ब)

प्रस्तर:- 4 ₹36.45 लाख के अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना |

Clause 4.5 of GPW-9 if the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

Clause 7 of GPW- The time allowed for execution of work as specified in the schedule "A" or the extended time in accordance with these condition shall be the essence of the contract. The execution of the work shall commence form such time period mentioned in schedule. If the contractor shall desire an extension of the time for completion of the work on the ground of his having been unavoidably hindered in its execution, or any other ground he shall apply in writing to the officer accepting the contract on behalf of the Government through the Engineer-in-Charge and a copy thereof is sent to Engineer-in-Charge within 30 days of the hindrance on account of which he desires such extension as aforesaid.

विषय: जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय बागेश्वर में रिंग रोड का निर्माण के अंतर्गत 84 मीटर स्पान डेढ़ लेन सेतु का निर्माण सरयू नदी पर किया जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0,अल्मोड़ा का पत्रांक 9651/507याता0–कु0/2014, दिनांक 12.01.2015 के अनुसार जनपद **बागेश्वर** में राज्य योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय बागेष्वर में रिंग रोड का निर्माण रूनीखेत–खोली–नदीगॉव–मजियाखेत–बिलौना–मण्डलसेरा–कठायताबाड़ा मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित कार्य का प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 764/।।।(2)/ 08–65(प्रा0आ0)/2007, दिनांक 24.03.2008 द्वारा लम्बाई **12.00 किमी0 + 6 नं0** सेतु हेतु लागत `**1460.00** लाख (चौदह करोड़ साठ लाख मात्र) की प्राप्त है।

इस कार्य का आंशिक प्राविधिक स्वीकृति पूर्व में निम्नवत् निर्गत की गयी है।

क्र0 सं0	पत्रांक	मद	प्रा0स्वीकृति की धनराषि
1.	5640 / 505याता0–कु0 / 2010, दि0 03.07.2010	4.45 किमी0 पार्ट–। + 5नं0 सेतु	898.91 लाख
2.	8709 / 507याता0–कु0 / 2014, दि0 24.11.2014	4.00 किमी0 पार्ट–।	101.28 लाख
वर्तमान में निर्गत की जाने वाली प्राविधिक स्वीकृति :–			
3.	9651 / 507याता0–कु0 / 2014, दि0 12.01.2015	84मी0 डेढ़ लेन स्टील गर्डर सेतु +2नं0 6मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया	459.81 लाख
		अद्यतन कुल पूर्ण प्राविधिक स्वीकृति :–	**1460.00 लाख**

विषयक 84 मीटर स्पान डेढ़ लेन सेतु का निर्माण सरयू नदी पर किया जाना है। प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित आगणन में एबटमेन्ट निर्माण हेतु सॉइल टैस्टिंग रिपोर्ट एवं एबटमेन्ट डिजाईन संलग्न नहीं किया गया है तथा स्ट्रक्चरल डिजाईन जनपद उत्तरकाषी में टौंस नदी पर खूनीगाढ़ नामक स्थान के समीप निर्मित किये जाने वाले 84 मीटर डेढ़ लेन के डिजाईन जो कि आई0आई0टी0 रूड़की से करवाया गया है, से लिया गया है।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि रिंग रोड का निर्माण जनपद– **बागेश्वर** हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है तथा सेतु निर्माण शीघ्र न होने की स्थिति में रिंग रोड की उपयोगिता पूर्ण न होगी। स्थानीय विधायक महोदय एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी रिंग रोड एवं सेतु निर्माण शीघ्र करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। सेतु निर्माण हेतु **आवश्यक** सॉइल टैस्टिंग रिपोर्ट एवं एबटमेन्ट डिजाईन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु ठेकेदार से अनुबन्ध गठन एवं सामग्री एकत्रीकरण का कार्य करवाया जा सकता है, अतः कार्य की महत्ता को देखते हुए **रु0 1460.00 लाख (चौदह करोड़ साठ लाख मात्र)** की पूर्ण प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, **बागेश्वर** के पत्रांक 1673 / 1सी0–बागे0 / 2014, दिनांक 27.12.2014 से प्राप्त आगणन पर उनकी संस्तुति के आधार पर **कार्य की प्राविधिक स्वीकृति हेतु लागत रु0 1460.00 लाख हेतु कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अलमोड़ा के पत्रांक - 9651/507 याता0-कु0/2014 दिनांक 12.01.2015 द्वारा** सैद्धान्तिक रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की **गई थी** कि सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सॉइल टैस्टिंग एवं एबटमेन्ट डिजाईन का कार्य करवा लिया जायेगा, तथा अधिशासी अभियन्ता एंव अधीक्षण अभियन्ता व्यक्तिगत रूचि लेकर सॉईल टेस्टिंग, एबटमेन्ट डिजायन का कार्य एवं स्ट्रक्चरल डिजायन की वैटिंग का कार्य सम्पादित करवायेगें।

84 मीटर स्पान डेढ़ लेन सेतु का निर्माण सरयू नदी पर किये जाने **हेतु M/s M. S. Associates के साथ लागत रु0 3,64,54,483.00 का अनुबंध संख्या 14/S.E-BGR दिनांक 24.03.2015 गठित किया गया उक्तानुसार कार्य**

प्रारम्भ की तिथि 24.03.2015 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 23.06.2016 थी। कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि 28.03.2018 है। उक्त के सापेक्ष XIth Final Bill के द्वारा रु0 4,69,88,723 भुगतान किया गया है। उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.12.2016 तक समय वृद्धि दी गयी थी। कार्य पूर्ण होने की बढ़ाई गयी तिथि से 1 वर्ष 3 माह बीत जाने के पश्चात भी लेखा परीक्षा तिथि (सितम्बर 2018) तक ठेकेदार के किसी देयक से विलम्ब अर्थदण्ड की कटौती नहीं की गई थी |

खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा समयवृद्धि प्रकरण स्वीकृत किया गया है उसके अनुसार कार्यवाही की गई है। समयवृद्धि प्रकरण में ही अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है जिसे देयक से समायोजित कर लिया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु आवेदन कार्य पूर्ण (28 मार्च 2018) होने के पश्चात किया गया था जो कि उपरोक्त वर्णित GPW-9 के clause-7 के विरुद्ध है साथ ही लेखा परीक्षा तिथि तक सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियंता (सिविल वृत, लोनिवि, वागेश्वर) द्वारा समय-वृद्धि प्रदान नहीं की गयी है, इस संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा समय-वृद्धि हेतु 0.10 प्रतिशत सहित संस्तुति की गयी है। उल्लेखनीय है कि GPW-9 के clause-4.5 के अनुसार contract value के 10 प्रतिशत अर्थ-दंड अधिरोपित का प्रावधान है, 0.10 प्रतिशत अर्थ-दंड अधिरोपित करने का प्रावधान नहीं है। ठेकेदार के XIth Final Bill तक रु0 4,69,88,723 भुगतान किया गया है तथा लेखा परीक्षा तिथि (सितम्बर 2018) तक कोई भी अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं की गयी है।

अतः ₹ 36.45[1] लाख की एलडी की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

[1] अनुबंध लागत ₹3,64,54,483 का 10%

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
55/89-90	2	1	
68/90-91	3	2	
66/92-93	2	3	
101/93-94	-	3	
183/95-96	-	3	
144/96-97	2	-	
177/97-98	2	2	
185/98-99	-	2	
125/99-2000	2	2	
02/2001-02	1	3	
10/02-03	2	3	
15/03-04	3	-	
77/04-05	-	1	
45/06-07	1	-	
16/07-08	2	-	
12/09-10	3	-	
07/11-12	1	-	
52/14-15	2	-	
87/15-16	-	2,4,5	
84/2016-17	-	1,2,3	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान माहलेखाकार को प्रेषित किया जा चुका है। अनिस्तारित प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**
1	श्री आर. के. पूनेठा
2	श्री एम. सी. शर्मा

4.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।

1. श्री वीरेन्द्र कुमार

2. श्री सुनील कुमार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II